

फाईनल डिक्ली मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास श्री सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.

उनवान

सईद पुत्र छीतर जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान _____ वादी

बनाम

1. मुरारी पुत्र स्व० पूरीराम
2. अतरसिंह पुत्र स्व० पूरीराम
3. श्यामलाल पुत्र स्व० पूरीराम
4. मु० धूपी बेबा पूरीराम
5. रूपबाई पुत्री स्व० पूरीराम पत्नि श्रवणलाल मीना जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर
6. गोलो पुत्री स्व० पूरीराम पत्नि रामरतन मीना जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली — प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 179/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री सन्तोष कुमार मुदगल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व फाईनल डिक्ली दी जाती है कि बंटवारा स्कीम दिनांक 15.12.2023 स्वीकार कर निम्नानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

कं.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
01.	मृतक पूरीराम पुत्र रतनलाल के वारिसान मुरारी, अतरसिंह, श्यामलाल पि० पूरीराम, गोलो, रूपबाई पुत्रियों पूरीराम, धूरी पत्नि स्व० पूरीराम जाति मीना सा०देह	853 855/1	0.66 है० 0.3170 है०
02.	सईद पुत्र छीतर जाति मुसलमान साकिन देह	855/2	0.3170 है०

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का ही एक भाग है। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-2-24 को यह डिक्री जारी की गई।

~~13/2/24~~
(सुखाराम मिश्रा) अधिकारी
उपखण्ड हिण्डौन (करौली)
हिण्डौन जिला करौली

क

28.

क

व